अंतरिम कार्यवाही दिनांक 15.02.2018

अपीलार्थी पक्ष की ओर से प्रस्तुत शीघ्र सुनवाई आवेदन पत्र से दर्शित आधार पर न्यायहित में प्रकरण आज सुनवाई में लिया गया।

अपीलार्थी सिरनाम सिंह सहित श्री भगवती प्रसाद राजौरिया अधिवक्ता उपस्थित।

प्रत्यर्थी कमांक 1 व 2 की ओर से श्री अरूण श्रीवास्तव अधिवक्ता उपस्थित।

प्रत्यर्थी कमांक 8 व 9 की ओर से श्री यजवेंद्र श्रीवास्तव अधिवक्ता उपस्थित।

प्रत्यर्थी क्रमांक 10 की ओर से श्री दीवान सिंह गुर्जर शासकीय अधिवक्ता उपस्थित।

> प्रत्यर्थी क्रमांक 6 व 7 अनुपस्थित एवं पूर्व से एकपक्षीय। शेष प्रत्यर्थीगण पूर्व से अर्निवाहित।

अपीलार्थी की ओर से एक आवेदन पत्र इस आशय का पेश किया गया कि अपीलार्थी इस अपील प्रकरण को आगे नहीं चलाना चाहता है। अतः अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत अपील को निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

उक्त संबंध में सुना गया। उपस्थित अपीलार्थी सिरनाम सिंह ने न्यायालय से बाहर स्वेच्छया राजीनामा हो जाने से इस अपील प्रकरण को आगे नहीं चलाना व्यक्त किया। अपीलार्थी की पहचान उनके अधिवक्ता द्वारा की गई।

अतः आवेदन पत्र स्वीकार कर अपीलार्थी के स्वेच्छिक निवेदन अनुसार यह अपील प्रकरण निरस्त किया जाता है।

प्रकरण में व्यय तालिका निर्मित हो। प्रकरण का परिणाम दर्ज कर प्रकरण दाखिल रिकॉर्ड हो।

> एस०के० गुप्ता प्रथम अपर जिला न्यायाधीश गोहद जिला भिण्ड